ए.

संजय पूरन बागडे और ए. एन. आर.

बनाम

महाराष्ट्र राज्य (2020 की आपराधिक अपील संख्या 143)

बी.

28 जुलाई, 2022

[संजय किशन कौल और एम**.** एम**.** सुंदरेश**,** जेजे।**]**

दंड संहिता, 1860 -s.302 r/ws।34 – हत्या-सामान्य इरादा-दुर्भाग्यपूर्ण रात को लगभग 3 बजे, पीड़ित और उसकी पत्नी (चश्मदीद गवाह) जाग गए और जब पत्नी खाना पकाने की तैयारी कर रही थी, तो पति प्रकृति के आह्वान पर उपस्थित होने के लिए गया-पत्नी ने उसकी चिल्लाहट सुनी, जब वह घटनास्थल पर दौड़ी तो उसने दो अभियुक्तों को अपने पति पर कुल्हाड़ी से हमला करते देखा, जबकि अपीलार्थियों ने उसे पकड़ लिया था-उसने उसे खून से लथपथ पाया, उसने यह भी बताया कि उनमें से चार ने उसे पकड़ लिया था और कुल्हाड़ी से उस पर हमला किया था-उसे अस्पताल ले जाया गया था, उसे मृत घोषित कर दिया गया था-अपीलार्थियों को निचली न्यायालय ने बरी कर दिया था, यह देखते हुए कि उनकी भूमिका पीड़ित को वास्तविक भागीदारी के बिना पकड़ने या हमला करने और घायल करने के लिए हथियार का उपयोग करने की थी।साथ-साथ दोनों अदालतों ने माना है कि गवाह विश्वसनीय थे, इसलिए मृतक की पत्नी-घटना के तरीके या सभी अभियुक्तों की पहचान के साथ कोई विवाद नहीं है-सुबह 3:30 बजे सभी अभियुक्तों की उपस्थिति जिसमें उनमें से दो ने कुल्हाड़ी पकड़ रखी थी, स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि वे जो करने का प्रस्ताव कर रहे थे, उसके पक्ष में एक सामान्य इरादे के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है-यह साइट पर उठाया गया कुल्हाड़ी नहीं था-दो अभियुक्त कुल्हाड़ी ले जा रहे थे-यह अचानक हुई घटना नहीं थी जो हुई थी-पूर्व नियोजित इरादा स्पष्ट था-साइट पर भी, इरादे कभी नहीं बदले थे क्योंकि अपीलार्थियों मृतक को पकड़ रहे थे जबकि अन्य दो ने हमला किया था -

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

178 ए.

179

संजय पूरन बागडे और ए. एन. आर. बनाममहाराष्ट्र राज्य ए

मृतक अपीलार्थियों के मामले में कोई छूट नहीं देगा-उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के फैसले को उलटने में कोई गलती नहीं है।

दंड संहिता, 1860 -धारा 34-सामान्य आशय-साक्ष्य-का दायरा-आयोजितः धारा 34 एक समान इरादे के अनुसरण में, एक द्वारा, दूसरे में किए गए अपराध का गठन करने वाले आपराधिक कार्य को अंतःस्थापित और आयात करके एक काल्पनिक कल्पना का निर्माण करती है-इसके लिए साक्ष्य की गुणवत्ता को पर्याप्त, ठोस, निश्चित और स्पष्ट होने की आवश्यकता होगी। दंड संहिता, 1860 -धारा 34-सामान्य इरादा-रचनात्मक दायित्व का सिद्धांत-आयोजितःएस की प्रमुख विशेषता।34 इरादे और कार्रवाई में भागीदारी का एक तत्व है-यह भागीदारी सभी मामलों में शारीरिक उपस्थिति भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक सामान्य इरादा होना चाहिए-एक विशेष परिणाम लाने के लिए आपराधिक कार्रवाई में भाग लेने वाले व्यक्तियों के मन की एक साथ सर्वसम्मति होनी चाहिए-वह इरादा किसी भी समय बनाया जा सकता है -धारा 34 किसी विशिष्ट अपराध का सृजन नहीं करती है, लेकिन यह रचनात्मक दायित्व के सिद्धांत को निर्धारित करती है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि कार्य सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए।

बी.

सी.

डी.

जसदीप सिंह उर्फ जस्सू बनाम पंजाब राज्य **(2022) 2**

एससीसी 545:2022 (1) जे. टी. 96; विरेन्द्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2010) 8 एस. सी. सी. 407:[2010] 9 एस. सी. आर. 772-निर्भर।

ई.

संदर्भित निर्णय

(2022) 2 एस. सी. सी. 545

पर भरोसा किया गया |

पैरा 11

[2010] 9 एससीआर 772

पर भरोसा किया गया |

पैरा 11

एफ.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2020 की आपराधिक अपील संख्या 143।

बॉम्बे में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 05.02.2019 से, सी. आर. एल. में नागपुर पीठ। 2018 की अपील संख्या 363।आकाश काकड़े, सोमनाथ पधन, श्वेतब कुमार, अशोक आनंद, राकेश कुमार। सिंह, बिपिन बिहारी सिंह, अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए।

जी.

राहुल चिटनिस, सचिन पाटिल, आदित्य ए. पांडे, जियो जोसेफ, सुश्री श्वेतल शेपाल, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

एच.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजय किशन कौल, जे।

1. 2 और 3 नवंबर, 2015 की दरम्यानी दुर्भाग्यपूर्ण रात को सुबह लगभग 3 बजे मृतक विलास बाबूसा गवांडे और उनकी पत्नी सौ। अनीता विलास गवांडे जागी और जब पत्नी खाना पकाने की तैयारी कर रही थी, तो पति प्रकृति के आह्वान पर जाने लगा।पत्नी (पीडब्लू-6) ने पति के चिल्लाने की आवाज सुनी कि चार लोग उस पर हमला कर रहे हैं और जब वह मौके पर दौड़ी तो उसने देखा कि उनमें से दो, मनोज पूरन बडगे और पूरन सखाराम बागडे ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया और जबकि हमारे सामने अपीलार्थियों संजय पूरन बागडे और राजरत्न

@नंदू बागडे ने उसे पकड़ लिया था।जब उसने ज़ोर से शोर मचाया तो वे सभी भाग गए।उसने अपने पति को खून से लथपथ पाया जिसने उसे यह भी बताया कि उनमें से चार ने उसे पकड़ लिया था और कुल्हाड़ी से उस पर हमला किया था।उसने पति के कहने पर उसे कुछ पानी दिया और फिर पड़ोसियों के घर गई जो पति को घर में ले गए और फिर एक ऑटो से उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

बी.

सी.

डी.

2. हमले का कथित कारण मृतक द्वारा मनोज पूरन बागडे की पत्नी पर रखी गई बुरी नजर बताया जा रहा है।पीडब्लू-6 का बयान धारा 161 Cr.P.C के तहत दर्ज किया गया था और बाद में धारा 164 Cr.P.C के तहत। हम सीमा पर ही कह सकते हैं कि हालांकि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने हमें मनाने का प्रयास किया, लेकिन हमें दोनों बयानों के बीच कोई स्पष्ट विसंगति नहीं मिली।

ई.

3. एफ़. आई. आर. No.79/2015 दिनांक 03.11.2015 दर्ज की गई थी और जाँच आरोप पत्र के अनुसरण में दायर किया गया था।चारों अभियुक्तों पर आई. पी. सी. की धारा 34 के सहपठित आई. पी. सी. की धारा 302 के अपराध का आरोप लगाया गया था। मुकदमा पूरा होने पर, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अकोट, जिला अकोला ने दिनांक 1 के एक फैसले द्वारा दो अपीलार्थियों को बरी करते हुए पहले दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया।

एफ.

4. ट्रायल कोर्ट के आदेश की जांच से पता चलेगा कि पीडब्लू-6 की गवाही विश्वसनीय पाई गई थी जो एकमात्र चश्मदीद गवाह थी।वास्तव में पूरा फैसला अभियुक्त द्वारा उठाए गए बचाव में जाता है और उन सभी को खारिज कर देता है।हालाँकि, निर्णय के अंत में, पैरा 46 में कुछ न्यायिक उदाहरणों का उल्लेख करते हुए, यह देखा गया कि अपीलार्थियों की भूमिका पीड़ित को वास्तविक भागीदारी के बिना पकड़ने या हमला करने और चोट पहुँचाने के लिए हथियार का उपयोग करने की थी।इस मायने में, यह कहा गया है कि चूंकि यही एकमात्र भूमिका थी, इसलिए यह ए नहीं हो सकती थी।

जी.

एच.

181

संजय पूरन बागडे और ए. एन. आर. बनाममहाराष्ट्र राज्य [संजय किशन कौल, जे.] ए.

उन्होंने कहा कि पहले दो अभियुक्तों के साथ मौत का कारण बनने का एक साझा इरादा था।

5. दो अभियुक्तों द्वारा दोषी ठहराए जाने के साथ-साथ अपीलार्थियों को बरी किए जाने के खिलाफ राज्य द्वारा अपील किए जाने पर, उच्च न्यायालय ने दिनांक 1 के विवादित फैसले के संदर्भ में, दो अपीलार्थियों को बरी किए जाने के खिलाफ राज्य की अपील को स्वीकार करते हुए दोषी अभियुक्त की अपील को खारिज कर दिया।

बी.

6. उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के दृष्टिकोण को अस्वीकार्य पाया है, जबकि इस बात की सराहना की है कि पक्षों को आई. पी. सी. की धारा 34 की सहायता से शामिल किया गया था। इस संबंध में, यह देखा गया है कि दायित्व का सार सामान्य इरादे का अस्तित्व और सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में अपराध करने में भागीदारी है।निचली अदालत द्वारा चर्चा किए गए साक्ष्य के आधार पर, जिसके साथ उच्च न्यायालय सहमत हुआ, यह पाया गया कि सबसे पहले, आरोपी (जिनमें से सभी रिश्तेदार हैं) और मृतक के बीच एक पूर्व घटना के बारे में अलग-अलग संबंध थे और आरोपी का सामान्य इरादा रात/सुबह खतरनाक हथियारों से लैस चारों अभियुक्तों की मौके पर उपस्थिति से स्थापित होता है, भले ही वास्तविक हमला अन्य दो लोगों द्वारा किया गया था, जबकि अपीलार्थियों ने मृतक को पकड़ लिया था।

सी.

डी.

7. इस प्रकार, अपीलार्थियों ने विशेष अनुमति याचिका को प्राथमिकता दी और मामले की जांच करने के लिए अनुमति दी गई।कुल्हाड़ी का उपयोग करने वाले दो अभियुक्तों द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को 20.01.2020 पर खारिज कर दिया गया था, जबकि अपीलार्थियों की विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी किया गया था।

ई.

8. हमने पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता सुना है।

एफ.

9. हमारे विचार में, मामला सीमित सीमा के भीतर आता है क्योंकि साथ-साथ दोनों न्यायालयों ने यह मानने के लिए साक्ष्य की सराहना की है कि गवाह विश्वसनीय थे, विशेष रूप से, पीडब्लू-6, मृतक की पत्नी जो एक चश्मदीद गवाह थी और यह भी बताती है कि मृतक ने उससे क्या कहा था।जब तक मृतक को अस्पताल ले जाया गया, तब तक उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस प्रकार, किसी भी मृत्यु घोषणा को दर्ज करने का कोई मामला नहीं होगा।

जी.

10. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने हमें साक्ष्य के पूरे दायरे को देखने के लिए मनाने का एक बहादुर प्रयास किया, लेकिन तब यह उचित नहीं होगा।यह कहने के लिए पर्याप्त है कि नीचे के दोनों न्यायालयों के साथ-साथ हम भी, निर्णय को पढ़ने पर पाते हैं कि वास्तव में कोई नहीं है।

एच.

182

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 7 एस सी आर।

जिस तरीके से घटना हुई या सभी अभियुक्तों की पहचान के साथ विवाद करें।एकमात्र सवाल जो उठता है वह यह है कि क्या अपीलार्थियों ने केवल मृतक को पकड़ रखा है जबकि अन्य दो ने मृतक पर हमला किया है, क्या यह कहा जा सकता है कि सभी अभियुक्तों के बीच कोई साझा इरादा नहीं था।

11. जसदीप सिंह उर्फ जस्सू बनाम पंजाब राज्य-(2022) 2 एस. सी. सी. 545 में हमारे हाल के एक फैसले में, आई. पी. सी. की धारा 34 के दायरे और चर्चा की पहले के फैसलों के संदर्भ में जांच की गई है।इस बात पर जोर दिया गया है कि आई. पी. सी. की धारा 34 एक समान इरादे के अनुसरण में एक द्वारा किए गए अपराध का गठन करने वाले आपराधिक कार्य को दूसरों में डाल कर एक काल्पनिक कल्पना पैदा करती है।इसके लिए निश्चित रूप से साक्ष्य की गुणवत्ता पर्याप्त, ठोस, निश्चित और स्पष्ट होनी चाहिए।एक साझा इरादे की आवश्यकता है।हमने पहले की न्यायिक घोषणाओं का उल्लेख किया जिनमें शामिल हैं -

बी.

सी.

विरेन्द्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य का मामला**-(2010) 8**

एस. सी. सी. 407, उक्त निर्णय से एक संकेत लेते हुए यह विचार रखता है कि धारा 34 की प्रमुख विशेषता इरादे और कार्रवाई में भागीदारी का एक तत्व है।यह भागीदारी सभी मामलों में भौतिक उपस्थिति भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक सामान्य इरादा होना चाहिए।एक विशेष परिणाम लाने के लिए आपराधिक कार्रवाई में भाग लेने वाले व्यक्तियों के मन की एक साथ सर्वसम्मति होनी चाहिए।यह इरादा किसी भी समय बनाया जा सकता है।आई. पी. सी. की धारा 34 कोई विशिष्ट अपराध नहीं करती है, लेकिन यह रचनात्मक दायित्व के सिद्धांत को निर्धारित करती है जिसमें कहा गया है कि यह कार्य सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए।

डी.

ई.

12. उपरोक्त कानूनी स्थिति के संदर्भ में, यदि हम वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच करते हैं, तो सभी अभियुक्तों की सुबह 3:30 बजे अपीलार्थी के घर पर उपस्थिति और उनमें से दो के पास कुल्हाड़ी होना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वे जो करने का प्रस्ताव कर रहे थे, उसके पक्ष में एक सामान्य इरादे के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है।यह साइट पर उठाया गया कुल्हाड़ी नहीं था।अभियुक्तों में से दो के पास कुल्हाड़ी थी।यह अचानक हुई घटना नहीं है।इस प्रकार पूर्व-नियोजित इरादा स्पष्ट था।स्थल पर भी इरादे कभी नहीं बदले थे क्योंकि अपीलार्थियों मृतक को पकड़े हुए थे जबकि अन्य दो ने हमला किया था।यह तथ्य कि उनमें से केवल दो कुल्हाड़ी का उपयोग कर रहे थे, जबकि अन्य दो ने मृतक को उचित चोट पहुँचाना सुनिश्चित करने के लिए मृतक को पकड़ रखा था, अपीलार्थियों के मामले में कोई छूट नहीं देगा।

एफ.

जी.

13. उपरोक्त कारणों को देखते हुए, हम वास्तव में ए द्वारा बरी किए जाने के फैसले को उलटने में उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निष्कर्ष को दोष नहीं दे सकते हैं।

एच.

183

संजय पूरन बागडे और ए. एन. आर. बनाममहाराष्ट्र राज्य [संजय किशन कौल, जे.]

विचारण न्यायालय द्वारा अनुसरण किए जाने वाले विधि के गलत सिद्धांत के रूप में क्या कहा जा सकता है।

14. अपील को तदनुसार खारिज कर दिया जाता है और पक्षकारों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

बी.

दिव्या पांडे

याचिका खारिज कर दी गई।

(सहायकः दीपक पंवार, एलसीआरए)

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.